न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

आर0एम0ए0 वाद सं0–10/2010–11

ईश्वर कोड़ा वगैरह
बनाम
जानिक कोड़ा वगैरह
अपीलकर्त्ता के तरफ से – श्री ए0के0 मिश्रा, अधिवक्ता
उत्तरवादी के तरफ से – श्री धनंजय मंडल, अधिवक्ता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

आदेश

03.10.2018

अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि दिनांक 08.07.2016 को लिखित बहस दाखिल किया गया है। लिखित बहस ही मेरा अंतिम बहस है। लिखित बहस में उल्लेख किया गया है कि महेशपुर थानान्तर्गत मौजा–बास्ता के जमाबन्दी नं0–18 से निम्न न्यायालय द्वारा अपीलकर्त्ता को उच्छेद किये जाने के विरूद्ध यह अपील वाद है। अन्तिम गजेर्स सेटेलमेन्ट में जमाबन्दी नं0–18 खतियान में लालचाँद कोड़ा, पिता–बड़ा सिकू कोड़ा, बुधवा कोड़ा, पिता–अघनु कोड़ा एवं छोटो सुकु कोड़ा पिता–लोवा कोड़ा का नाम अंकित है।

इनके द्वारा खतियानी रैयत का निम्नरूपेण वंशावली तैयार कर अपना दावा पेश किया गया है।

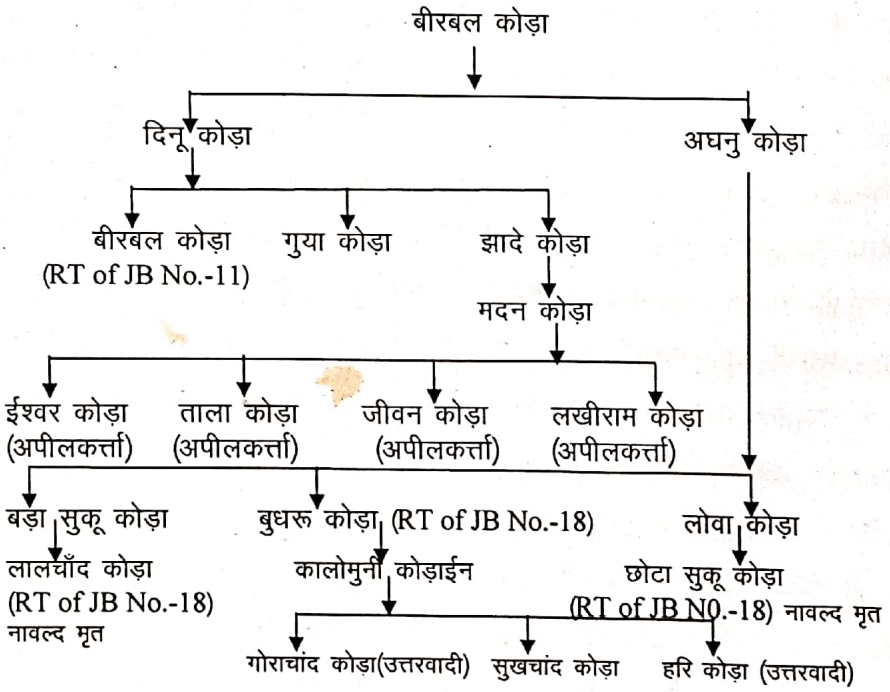

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

अपीलकर्त्ता के लिखित बहस में उल्लेख किया गया है कि पक्षकार संथाल है, इसलिए संथाल रीति रिवाज का प्रचलन है। संथाल रीति रिवाज में विरासत और उत्तराधिकार का नियम लागू नहीं होता है। संथाल रीति रिवाज में महिला को अपने पिता या ससुर के सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं है। केवल खुराकी का हकदार है। यदि संथाल परिवार में कोई पुत्र नहीं है केवल पुत्री है एवं उनकी शादी घरजमाई तरीके से होती है तो लड़की एवं उसका पति, पिता का सम्पत्ति का हकदार होंगे। यदि किसी संथाल परिवार में कोई संतानादि नहीं है तो उनके वंशधर हकदार होंगे। वर्त्तमान वाद में खतियानी रैयत लालचाँद कोड़ा के बहन कालोमुनी कोड़ाईन के द्वारा कोई दावा नहीं किया गया है। चूंकि उनकी शादी घरजमाई तरीके से नहीं हुई है। इसलिए जमाबन्दी नं0–18 के उत्तराधिकारी से वंचित है। उनका पुत्रगण (उत्तरवादियों) को कोई वर्णित जमाबन्दी नं0–18 का कोई अधिकार नहीं बनता है। वंशावली के अनुसार अघनु कोड़ा का भाई दिनू कोड़ा है अपीलकर्त्तागण दिनू कोड़ा के परपोता है। अपीलकर्त्तागण खतियानी रैयत लालचाँद कोड़ा का उत्तराधिकारी है। जमाबन्दी नं0–18 का वैधिक उत्तराधिकारी नहीं रहने के कारण अपीलकर्त्तागण मौजा–बास्ता के जमाबन्दी नं0–18 का उत्तराधिकारी है। वर्णित जमाबन्दी के जमीन का भोग–दखल कर रहें हैं। इसलिए इस दखल को अवैध करार नहीं दिया जा सकता है। पूर्व में उत्तरवादियों ने वर्णित जमाबन्दी नं0–18 की जमीन पर किमनल केस नं0–301/1999 टी0आर0 नं0–32/99 के द्वारा धारा 144 एवं 145 के तहत दावा किया गया था। उक्त वर्णित वाद में दिनांक 10.02.2004 को पारित आदेश में अपीलकर्त्ताओं के पक्ष में दखल घोषित किया गया। साथ ही यह आदेश दिया गया कि अपीलकर्त्ताओं को जमाबन्दी नं0–18 की जमीन से तबतक बेदखल नहीं किया जा सकता है, जबतक उत्तरवादियों के पक्ष में सक्षम न्यायालय द्वारा कोई आदेश प्राप्त नहीं होता है। एकबार सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकार का निर्णय दिया जा चुका है। सिविल कोर्ट ही स्वत्व एवं अधिकार का निर्णय दे सकते है। निम्न न्यायालय द्वारा राजस्व क्षेत्राधिकार के तहत निर्णय दिया गया है। राजस्व न्यायालय को स्वत्व एवं अधिकार के तहत निर्णय देने का अधिकार नहीं है। निम्न न्यायालय के आदेश को नियम विरूद्ध कहते हुए निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना तथा लिखित बहस का अवलोकन

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

किया गया। उनका कहना है कि अपीलकर्त्ता के द्वारा प्रस्तुत वंशावली गलत रूप से तैयार कर प्रस्तुत किया गया है। अपीलकर्त्ता अपने लिखित बहस में जमाबन्दी नं0–11 का मालिक है। संथाल रीति में एक परिवार में मात्र एक ही जमाबन्दी होती है। अंचल अधिकारी के द्वारा समर्पित वंशावली सही है। उत्तरवादी उत्तराधिकार के आधार पर जमीन का हकदार है। लिखित बहस में उल्लेख किया गया है कि –

पाकुड़ जिला के महेशपुर थानान्तर्गत मौज–बास्ता के जमाबन्दी सं0–18 खतियान में लालचांद कोड़ा, छोटो बदरू कोड़ा तथा सुकू कोड़ा का नाम दर्ज है। खतियानी रैयत लालचांद कोड़ा एवं छोटो बदरू कोड़ा की मृत्यु निःसंतान हो गई है। सारी सम्पत्ति जमाबन्दी नं0–18 की खतियानी रैयत सुकू कोड़ा उत्तराधिकारी के सूत्र से प्राप्त किये एवं अपना जीवन काल तक उक्त सम्पत्ति को अपना भोग–दखल में रखकर खजाना आदि देते आ रहे थे। खतियानी रैयत सुकू कोड़ा का एक लड़का लालचांद कोड़ा एवं एक लड़की कालोमुनी कोड़ाईन थी। लालचांद कोड़ा का भी मृत्यु निःसंतान हो चुका है। कालोमुनी कोड़ाईन हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत खतियानी रैयत सुकू कोड़ा का सारी सम्पत्ति उत्तराधिकार के सूत्र से प्राप्त कर अपना जीवन काल तक निर्विवाद भोग–दखल करते गये। कालोमुनी कोड़ाईन का पति सोम कोड़ा था। उक्त कालोमुनी कोड़ाईन के मृत्योपरान्त उनके तीन पुत्र कमशः गोराचांद कोड़ा, सुखचांद कोड़ा एवं हरि कोड़ा ने उक्त सम्पत्ति को उत्तराधिकार के आधार पर प्राप्त कर भोग–दखल करते गये। इसमें से सुकचांद कोड़ा की मृत्यु हो गयी जिसमें कि उनके दो पुत्र कमशः मानिक कोड़ा एवं बाबुधन कोड़ा ने उक्त सम्पत्ति को भोग–दखल करते गये। केस के दरम्यान गोराचांद कोड़ा की मृत्यु हो गई है, जिसमें कि उनके पुत्रगण कमशः लालू कोड़ा, जानक कोड़ा, सुशील कोड़ा एवं सुनिराम कोड़ा उक्त वाद में पक्षकार बने।

अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष गोराचांद कोड़ा, हरि कोड़ा एवं सुकचांद कोड़ा के पुत्रगण मानिक कोड़ा एवं बाबुधन कोड़ा ने संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के तहत सक्षम न्यायालय में आवेदन दायर किया। उक्त आवेदन के आधार पर सक्षम न्यायालय ने जांच प्रतिवेदन हेतु अंचल अधिकारी, महेशपुर से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं पक्षकारों को नोटिस निर्गत किये। अंचल अधिकारी ने हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक तथा स्वयं जांच कर प्रतिवेदन

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

दिया। जांच प्रतिवेदन में वंशावली 18 नं0 जमाबन्दी का दर्शाया गया एवं आवेदकगणों द्वारा आवेदन में दी गई वंशावली को सही मानकर अपना जांच प्रतिवेदन में देखकर न्यायालय में समर्पित किया। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं का तर्क होते हुये विपक्षीगणों के अधिवक्ता ने उक्त जांच प्रतिवेदन को चैलेंज किये तत्पश्चात् अंचल अधिकारी ने पुनः स्वयं जांचकर पुनः जांच प्रतिवेदन समर्पित किया जो पूर्व के जांच प्रतिवेदन से टैली हु–ब–हुब हुआ। जिसमें यह भी दर्शाया गया कि आवेदकगणों का उक्त जमीन से विपक्षी ने दो साल पूर्व से बेदखल करके रखा है। उक्त अवैध दखल को धारा–42 के अन्तर्गत दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात् दिनांक 02.06. 2010 को विपक्षीगणों को उच्छेद का आदेश पारित किया। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा बहस में ये बात प्रकाश में लाये कि कोड़ा संथाल के कॉम में आते हैं और संथाल कास्टमरी कानून को मानते हैं, ये बात सरासर गलत है। संथाल संथाल ही होता है जिसका अपना व्यक्तिगत कानून है। परन्तु कोड़ा लोग हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मानकर चलते हैं एवं उक्त अधिनियम से प्रभावित है। अपीलकर्त्ताओं ने मौजा–बास्ता के 11 नं0 जमाबन्दी के खतियानी रैयत के वंशज है एवं अपना लिखित बहस में एक वंशावली बनाये हुये हैं जिसके आधार पर 11 नं0 जमाबन्दी के प्रजा होने के नाते भी वे 18 नं0 जमाबन्दी में आ जाते हैं कि पूरे संथाल परगना में सेटेलमेंट के समय सेटेलमेन्ट ऑफिसरों द्वारा जो खतियान बनाया गया था जिसमें अहस्तान्तरित मौजा में एक रैयतों का एक ही जमाबन्दी होता था। इनके अलावे ऑफिसियल जोत जैसे कि प्रधान का प्रधानी जोत एवं अपना रैयती जोत होता था। रैयतगणों का एक ही जोत में तथा एक ही जमाबन्दी में सारी सम्पत्ति किया गया था। अपीलकर्त्ता ने अपने नोट–ऑफ आरगुमेन्ट में जो वंशावली दर्शाया है ये सरासर गलत है। खतियानी रैयत बिरबल कोड़ा जमाबन्दी नं0–11 के रैयत थे। उनके पिता–दिनू कोड़ा दो भाई थे। एक दिनू कोड़ा एवं एक आगनू कोड़ा। आगनू कोड़ा से वंशावली दर्शाया गया है जो मनगढ़ंत है। उनके द्वारा जमाबन्दी नं0–18 के खतियानी रैयत के साथ मनगढ़ंत रूप से वंशावली दर्शाया गया है जो गलत है।

अपीलकर्त्तागणों के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि उक्त वाद के पूर्व 144 Cr.P.C. के अन्तर्गत मुकदमा हुआ था, जो कन्वर्ट होकर 145 Cr.P.C. में परिवर्त्तित हो गया था एवं अपीलकर्त्तागणों ने 145 Cr.P.C. के मुकदमा को

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	एक्सपार्टी आदेश प्राप्त किया। 145 Cr.P.C.के मुकदमा में दखल घोषित होता है। ये बात प्रकाश में आया कि उक्त वाद के दो साल पूर्व अपीलकर्त्तागणों ने उक्त जमीन को हड़पने के ख्याल से विवाद खड़ा किया था जिसमें कि उत्तरकारी गणों ने उक्त भूमि विवाद को लेकर पहले–पहल 144 Cr.P.C. का मुकदमा दायर की थी क्योंकि उक्त जमीन में उत्तरकारीगणों ने अपना धान फसल को लगाये हुये थे जिसको अपीलकर्त्तागणों ने बलपूर्वक धान फसल को काट लेने की धमकी दी थी। इसलिए उक्त 144 Cr.P.C.की वाद प्रारंभ हुई थी। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 में यह भी उल्लेखित है कि वैध तथा अवैध दखलकार को उच्छेद करने के लिये ये अधिनियम की धारा के आधार पर उच्छेदी होता है। उत्तरकारीगणों ने उक्त सम्पत्ति का एकमात्र हकदार होने के नाते विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी ने दोनों पक्षों का तर्क को सुनते हुए न्यायोचित आदेश दिनांक 02.06.2010 को पारित किया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखने का अनुरोध किया गया। उभय पक्षों के विद् अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई विसंगति (Infirmity) नहीं पाने के कारण उसे (सही ठहराता) Upheld करता हूँ। अपीलकर्त्ता सभी संशय से (Doubts) से परे अपने को मौजा बस्ता का जमाबन्दी सं0–18 के मूल जमाबन्दी रैयत से सीधा सम्बन्ध स्थापित करने में विफल रहे। अतः अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन एतद् द्वारा खारिज करते हुए उन्हें निदेशित किया जाता है कि वे अपने स्वत्व के लिए सक्षम व्यवहार न्यायालय में मामला दायर करें। तदनुसार इस वाद की कार्यवाही समाप्त किया जाता है। आदेश से सभी सम्बद्ध पक्षों को अवगत करावें। अन्य प्रशासनिक व्यस्तताओं के कारण पूर्व में आदेश पारित करना संभव नहीं हो सका। आज दिनांक 03.10.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के सील मुहर के साथ आदेश निर्गत किया गया। लेखापित एवं संशोधित उ पा यु क्त, पाकुड़। उ पा यु क्त, पाकुड़।	134/D.B. 25/10/18 L.C.R. return Seen ... 24.10.18 Seen ... 31/10/18

Digitally signed by VARUN RANJAN
Date: 2023.01.11 17:05:57 +05:30
Location: 192.168.1.100

Scanned with CamScanner